



मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना

राजस्थान-सरकार

विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : 0141-2224878

ई-मेल: rmsgc.mnjy@gmail.com

क्रमांक: एक04(300)/एमएनजेवाई/बजट/2016-17/

934

दिनांक:

21/11/16

अति-आवश्यक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय:-लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी की मासिक बैठक दि० 22.04.16 के अन्तर्गत  
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुये व्यय का विवरण एवं  
उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु बजट की डिमाण्ड भिजवाने  
बाबत।

सन्दर्भ -वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के प० 4988  
दि० 07.04.16 के कम में।

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत लेखा कार्मिकों की दि० 22.04.16 को आयोजित मासिक बैठक  
में अवाहस्ताक्षरकर्ता के प० 911 दि० 07.04.16 के अनुसार वांछित सूचनाएं भी लाने हेतु सम्बन्धित  
लेखाकार्मिकों को निर्देशित करने का श्रम करे।

निदेशक (जन स्वा०)  
विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एक04(300)/एमएनजेवाई/बजट/2016-17/

934

दिनांक : 21/11/16

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, दि० एवं स्वा० विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जन)।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)  
विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा / बैठक / 2016 /

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

दिनांक:

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 22-04-2016

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सेटलाइट चिकित्सालयों/कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों एवं लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 22-04-2016 को मध्यह्न पूर्व 11:00 बजे अर्थात्स्वारकर्ता की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त लेखाकर्मी नियमित रूप से लक्ष्यो जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना बैठक में अपने साथ लेकर आयें :-

1. याना एवं चिकित्सा व्यय के बकाया दायित्व :- वर्ष 2016-17 के लिए आयोजना भिन्न/आयोजना मदों में 03-यात्रा व्यय एवं 04-चिकित्सा व्यय के लम्बित दायित्वों की सूचना निदेशालय के पत्रांक ए4(1)लेखा/बीएनपी/2016/03 दिनांक 04.04.2016 (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार बैठक में आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।
2. मासिक आय एवं व्यय विवरण:- सम्बन्धित सहा. लेखाधिकारी माह मार्च, 2016 तक के समस्त आय एवं व्यय मदों (आयो. भिन्न/आयोजना /सीएसएस) के मासिक आय एवं व्यय विवरण दिनांक 11-04-2016 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवायें एवं आय एवं व्यय मानचित्रों में दी.बी. न0 आवश्यक रूप से अंकित हो सुनिश्चित किया जाये।
3. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 05-02-2016 में प्रमुख शासन सचिव महोदय ने महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की समस्त बकाया प्रथम अनुपालनार्थ मार्च माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है। समस्त कार्यालय बैठक से लम्बित प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनार्थ साथ लावें।
4. प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के वर्ष 2011-12 तक के लम्बित प्रतिवेदनों के बकाया पैराज शत-प्रतिशत निस्तारण करवाया जाना है। बैठक में बकाया पैराज की ठोस अनुपालना प्रस्तुत करावें। जोन स्तर पर बकाया पैराज की अनुपालनार्थ इकजाई कर पूर्ण कार्य योजना बनाकर बैठक में प्रस्तुत करें।
5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक अनुपयोगी सामग्री एवं नाकारा वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही तथा प्राप्त आय की सूचना निर्धारित प्रपत्र मध्य चालान की प्रति सहित प्रस्तुत करें। जिन कार्यालयों में निस्तारण की कार्यवाही लम्बित नहीं है, वे पूर्व में जारी परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार सूचना बैठक में साथ लावें। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जायेगी।
6. बोरी/गबन के प्रकरणों के सम्बन्ध में केसवाइज नवीनतम सूचनाएं एवं न्यायालय में विचारार्थीन बोरी/गबन प्रकरणों में वसूली के विरुद्ध न्यायालय से स्टे नहीं है उन प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें। समस्त बकाया प्रकरणों के वसूली के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा।
7. निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जाँच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों में दोषी कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं करने, वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। अतः विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों कि पूर्ण एवं ठोस अनुपालनार्थ बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
8. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 05-02-2016 में निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की पालना समय पर न प्राप्त होने को गंभीरता से लिया गया है। अतः भीटिंग में उपस्थित लेखा कर्मी अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों की मण्डल भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित निरीक्षण विभाग को भिजवाने हुए अनुपालना की प्रति भीटिंग में लाना सुनिश्चित करें।
9. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 05-02-2016 में आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा नहीं भिजवाने को गंभीरता से लिया गया है। अतः समस्त कार्यालय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम/बकाया अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं भीटिंग में उपस्थित लेखा कर्मी अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करते हुए एकीकृत सूचना भीटिंग में लाना सुनिश्चित करें।
10. निदेशालय के आदेश दिनांक 27-01-2016 व 28-01-2016 के द्वारा ओ.बी. आईटम्स का निस्तारण हेतु करवरी के प्रथम सप्ताह में कैम आयोजित किया गया था, जो सम्बन्धित कार्यालय कैम्प में उपस्थित नहीं हुए, स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से साथ लावें तथा लम्बित ओ.बी. आईटम्स की अनुपालनार्थ मध्य दस्तावेजों के महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर सूचना साथ में लावें।
11. राज्य में जोड़ पोस्ट नशानुचित कार्यक्रम (मथा सवेय) हेतु राज्य सरकार द्वारा अग्रिम आहरण की स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके तहत अग्रिम आहरित की गयी राशि का विस्तृत व्यय बिल निर्धारित समयवधि में बनाकर महालेखाकार कार्यालय में समयांजित करवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही पूर्ण सूचना भीटिंग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाये।
12. एसी बिल से आहरित राशि के बकाया लम्बित डीसी बिल तैयार कर सम्बन्धित ट्रेजरी के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को समायोजन हेतु भिजवाने हुए सूचना साथ में लावें।
13. प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाएं सभी प्रकार से पूर्ण हो सुनिश्चित किया जावें। प्रपत्र संख्या 1, 4 एवं 8 की सूचना अलग एवं प्रपत्र संख्या 2, 3, 5, 6 एवं 7 की सूचना अलग से जोनवार समीकित कर बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावें।

क्रमांक: लेखा / बैठक / 2016 / 4988

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैदी कॉलोनी, जयपुर।
5. निजी सहायक निदेशक (जन स्व00)/परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पाज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पाज0 जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
8. मण्डल अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं मण्डल सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन/मु. वि. एवं स्वा. अधिकारी/प्र. वि. अधिकारी
10. लेखाधिकारी/स0ले0ओ0 (बजट/आन्तरिक अंकेक्षण/महालेखाकार अंकेक्षण/मण्डल क्रयण संगठन) मुख्यालय जयपुर।
11. प्रभारी सर्व, रूम (मु)। कृपया इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
12. केयर टेकर, कृपया दिनांक 22-04-2016 को प्रातः 11:00 बजे से मिटिंग हॉल आरक्षित करें।
13. रक्षित पत्रावली।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

वित्तीय सलाहकार

दिनांक: 21/4/16